

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक प. 20(214)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 30 APR 2026

::आदेश::


श्री वीरभद्र सिंह सिसोदिया, नोटेरी पब्लिक, आसपुर जिला डूंगरपुर की मृत्यु हो जाने के कारण इनका नोटेरी प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए नोटेरी रजिस्टर में अंकित रजिस्ट्रेशन क्रमांक 1282 से इनका नाम हटाया जाता है।

आज्ञा से


प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सोलीसीटर, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
6. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, जिला डूंगरपुर।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि को ई गजट में प्रकाशनार्थ ।
10. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
11. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, आसपुर जिला डूंगरपुर।
12. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव